

जबकि कई मामलों में कनीय पदाधिकारियों का चयन विभागों द्वारा होता था, परन्तु बरीय पदाधिकारियों का चयन नहीं हो पाता था, जिसके फलस्वरूप या तो कनीय पदाधिकारियों को पहले प्रोन्नति मिल जाती थी या सभी पदाधिकारियों की प्रोन्नति रुकी रहती थी। पदाधिकारियों के अनिवार्य प्रतीक्षा में रहने से सरकार को उन्हें वेतन देना पड़ता था, जबकि वे कोई भी काम नहीं करते थे। साथ ही पदाधिकारियों का मनोबल भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता था।

कार्यपालिका नियमावली के अधीन भा० प्र० से० तथा बिहार असेनिक सेवा के पदाधिकारियों को पदस्थापित करने का भार तथा उनकी संवर्ग-व्यवस्था का भार कामिक विभाग को सौंपा गया है। अतः कार्यपालिका नियमावली के अनुसार भी कामिक विभाग को ही इन पदाधिकारियों को पदस्थापित करने का वायित्व है, इसके अतिरिक्त पदाधिकारियों के पूर्व पदस्थापन, सेवा नियुक्ति, अभ्यावेदन आदि की सूचना कामिक विभाग में ही उपलब्ध रहती है। अतः कामिक विभाग ही इस स्थिति में है कि उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन का आदेश निर्गत करें।

अतः उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि भा० प्र० से० तथा बिहार असेनिक सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन सीधे कामिक विभाग द्वारा किया जायगा। फिर भी कामिक विभाग पदाधिकारियों का पदस्थापन करने के पूर्व पुरा प्रयास करेगा कि जहां तक सम्भव हो अनौपचारिक रूप से सम्बन्धित विभागों का विचार तथा परामर्श प्राप्त कर ले।

ग्रामण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी का पदस्थापन करने के सम्बन्ध में अभी जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस पर इस परिपत्र की कठिना-४ का प्रभाव नहीं होगा। उनके सम्बन्ध में वर्तमान प्रक्रिया कायम रहेगी। साथ ही, ग्रामण्डलीय आयुक्तों को भी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थानांतरण करने की जो शक्ति पूर्व में प्रदान की गई है वह भी कायम रहेगी।

राज्य सरकार का यह भी निर्देश है कि जिन पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जाय तथा जिन पदाधिकारियों की सेवायें ली जाय, सम्बन्धित विभाग, जहां आवश्यकता हो, अपने स्तर से अविलम्ब अधिसूचना निर्गत कर दे तथा प्रभार अधिसूचित पदाधिकारियों को ग्रहण करने दें।

५. अनुरोध है कि उपरोक्त अनुदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन किया जाय, ताकि प्रशासन क्षेत्र में कार्यों के निष्पादन में शीघ्रता आये, साथ ही पदाधिकारियों में अनुशासन की भावना हो एवं वे राज्य के हित के प्रति जागरूक हों।

(एफ० अहमद),

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या—का०—२०६८३

२६ मार्तिक; १८६६ (स);

पटना-१५, दिनांक

२० नवम्बर, १९७५।

प्रतिलिपि — सरकार के सभी विभागों के सचिव / सभी विभागाध्यक्ष एवं राज्य के सभी सभाहस्ताओं को सूचनायें एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बिन्ध्यनाथ शा),

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र संख्या १०/परी० १०८५/७४ का० २७६५

बिहार सरकार

कामिक विभाग।

प्रेमक,

श्री शरण सिंह,
सरकार के मुख्य सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभागों के सचिव।

सरकार के सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमंडलों के आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना— १५ दिनांक २५ नवम्बर, १९७५।

विषय :— बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के उनकी कार्यविधि में स्थानान्तरण संबंधी नीति।

महाशय,

कार्यविधि में महासंघ के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण पर रोक संबंधी विषय पर निर्गत सरकारी परिपत्र संख्या-५०७० दिनांक १७-६-१९६८ तथा परिपत्र सं० सी० एस०-१-एस३-१०१७४/६८-४७ दिनांक ४ जनवरी १९६९ के क्रम में कहना है कि बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को उक्त परिपत्रों में जिन शर्तों के अधीन एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानान्तरण नहीं करने का निदेश निर्गत किया गया है वह मात्र एक ही कार्यविधि अर्थात् कार्यकारिणी के पदाधिकारी होने की तिथि से अधिक से अधिक दो वर्षों तक के लिए ही लागू होगा।

(१८) १३-११-७५

२. कृपया इसकी जानकारी अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों/पदाधिकारियों को करा दी जाय जिससे कि पूर्व में निर्गत इन विषयक परिपत्रों का अनुपालन इसी आलोक में किया जाय।

विश्वासभाजन,

(शरण सिंह)
सरकार के मुख्य सचिव।

बिहार सरकार

कामिक विभाग

ज्ञाप संख्या १/प १-२०२४४/७५ का०-११२३१

पटना-१५, दिनांक ३१ मई, १९७६ई०

सेवा में

सभी प्रमुख सचिव

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

विषय :—

कामिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण (भा० प्र० से०/बिहार असेनिक सेवा) के पदाधिकारियों को पदस्थापित करने की प्रक्रिया ।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि कामिक विभाग के ज्ञाप संख्या-१/११-३०१५७/७५-२०२५३-का, दिनांक २० नवम्बर, १९७५ (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निर्गत परिपत्र के द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि कामिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण (भा० प्र० से०/बिहार असेनिक सेवा) के पदाधिकारियों को पदस्थापित करने की क्या प्रक्रिया होगी । उपरोक्त की कठिका ४ की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना है । उपरोक्त आदेश के निर्गत किये जाने के बाद भी यह पाया गया है कि कई मामलों में कुछ विभागों द्वारा उपरोक्त कोटि के पदाधिकारियों को, कामिक विभाग की सहमति प्राप्त किये बिना, पदस्थापन आदेश में परिवर्तन किया गया है । कुछ ऐसे भी मामले हुए हैं जिनमें कामिक विभाग द्वारा किसी पदाधिकारी को, जिस पद हेतु अधिभूचित किया गया है, उसके फलस्वरूप कई कठिनाइयाँ उपस्थित होती रही हैं । उदाहरणार्थ संबंधित पदाधिकारी को यह समझ में नहीं आता कि वे सरकार के किस विभाग के आदेश का पालन करें । महालेखाकार भी आपत्ति कर सकते हैं । सरकार के दो विभागों के द्वारा दो विभिन्न प्रकार के आदेश निर्गत किये जाने की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिये पूर्व में निर्गत किये गये उपरोक्त आदेश को दुहराते हुए मुझे कहना है कि उपरोक्त आदेश के द्वारा निर्धारित) प्रक्रिया का पालन सभी विभागों द्वारा किया जाय । यदि किसी परिस्थिति में किसी विभाग को अपना प्रस्ताव या परामर्श देना हो तोवे अनौपचारिक तौर पर कामिक विभाग को अपना प्रस्ताव/परामर्श दे सकते हैं । परन्तु किसी भी स्थिति में कामिक विभाग से सहमति प्राप्त किये बिना कोई विभाग स्वतंत्र रूप से किसी पदाधिकारी के पदस्थापन के संबंध में अधिसूचना निर्गत नहीं करेंगे ।

(एक० अहमद)

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

ज्ञाप संख्या—का० ११२३१

पटना—१५, दिनांक ३१ मई, १९७६

प्रतिलिपि, सरकार के सभी विभाग के सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / एवं राज्य के सभी समाह्वर्तियों को सूचनायें एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- अस्पष्ट

सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग ।

आप संख्या—३/आर १-१०१०/७६ का० ४८१/

पटना—१५, दिनांक ११ जनवरी, १९७७ ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमदलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :— चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक ।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण से इन अल्प वेतन भोगियों को बड़ी असुविधा होती है । साथ ही नये स्थान पर इनके सामने आवास की भी कठिन समस्या है ।

२. अतएव उपर्युक्त तथ्यों पर विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि विशेष प्रशासनिक कारणों को छोड़कर (जैसे पद समाप्त होने पर, आदि) चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं किया जाय । यदि वे सबिवालय में कार्यरत हैं तो वे सबिवालय में ही काम करेंगे । यही स्थिति जिला, अनुमंडल तथा प्रखण्ड में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों पर भी लागू होगी । पर स्वास्थ्य अथवा अन्य मानवोचित आधार पर स्थानान्तरण की कार्रवाई उनके द्वारा आवेदन देने पर की जा सकेगी ।

३. अनुरोध है कि सरकार के इस निर्णय से अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों को अवगत करा दें ।

ह०/—अस्पष्ट

(एफ अहमद)

सरकार के अवर मुख्य सचिव ।

अवधेन/

पत्र सं० १/११—१०१/७७ का १३८३

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

सेवा में,

श्री आर० पी० खन्ना,
मुख्य सचिव बिहार,

सभी प्रधान सचिव

सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना—१५, दिनांक २५ जनवरी, १९७७

विषय: — लोक सभा चुनाव, १९७७—पदाधिकारियों का स्थानान्तरण और पदस्थापन।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि लोक सभा का आगामी चुनाव मार्च, १९७७ में होनेवाला है। लोक सभा के आगामी चुनाव के सफल संचालन हेतु प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, एवं प्रखंड स्तर पर पदस्थापित सभी सेवाओं के सभी राजपत्रित और अराजपत्रित पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं की अभी से आवश्यकता होगी।

२- उपर्युक्त के आलोक में राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है:—

- (क) प्रमंडल, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर पदस्थापित किसी भी सेवा के राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदाधिकारी/कर्मचारी का केवल अति विशेष परिस्थिति में अत्यावश्यक प्रशासनिक कारणों को छोड़कर ३१ मार्च, १९७७ तक स्थानान्तरण नहीं किया जायगा।
- (ख) उपर्युक्त स्तर एवं प्रकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित स्थानान्तरण आदेशों का कार्यान्वयन ३१ मार्च, १९७७ तक स्थगित रहेगा, और
- (ग) जिला प्रशासन से संबंधित रिक्त प्रशासनिक पदों को भरने के लिए स्थानान्तरण किये जा सकेंगे और तत्तद्देश्यार्थ हुए स्थानान्तरण आदेशों का कार्यान्वयन ७ फरवरी, १९७७ तक किया जायगा।

३- उपर्युक्त निर्णय तुरत के प्रभाव से लागू होंगे।

४- राज्य सरकार के इन आदेशों से सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को तुरत अवगत कराने की कृपा की जाय।

५- पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

विश्वासभाजन,
(आर० पी० खन्ना)
मुख्य सचिव, बिहार।

सं० ३/आर१-१०६-७७का०-१८३०१

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

२९ सितम्बर १९७७

विषय—सरकारी सेवकों के पदस्थापन और स्थानान्तरण के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया।

सरकारी सेवकों के पदस्थापन और स्थानान्तरण के संबंध में तिथि २४ मई, १९७२ को मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा निर्गत सरकारी संकल्प संख्या १९२४ में नीति एवं प्रक्रिया का निरूपण हुआ था। अर्त्तमान शासन का सुनिश्चित मत है कि लोक-हित में पदस्थापन एवं स्थानान्तरण को "सांस्थिक रूप" दिया जाना चाहिये और एतदर्थ सामान्य नीति निरूपित की जाय और उसका दृढ़ता से पालन हो।" ऐसा होने से कर्मचारियों के बीच पदस्थापना/स्थानान्तरण को लेकर असंतोष नहीं फैलेगा। जिकायतें भी कम होंगी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूर्वदिन को अवक्रमित करते हुए निम्नांकित निर्णय लिये हैं :—

(क) स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के लिए सामान्य नीति:—

- (१) सरकारी सेवकों का स्थानान्तरण सामान्य रूप से अपने वर्त्तमान पद पर ३ वर्षों की अवधि पूरी करने के बाद ही किया जायगा।
- (२) कठिन पद, कठिन शिवा एवं कठिन क्षेत्रों में पदस्थापित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण दो वर्षों की अवधि पूरी करने के बाद किया जायगा।
- (३) स्थानान्तरण का प्रस्ताव वर्ष में दो बार ही दिया जायगा—प्रथम, जून माह में और दूसरा, दिसम्बर माह में। स्थानान्तरण से संबंधित आदेश जून या दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में निर्गत हो जाय ताकि स्थानान्तरित सेवक अपने नये पद पर क्रमशः, जुलाई, तथा जनवरी में योगदान कर सकें।
- (४) प्रशासनिक अथवा मानवीय कारणों के आधार पर निर्धारित अवधि के पहले तथा किसी भी समय स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
- (५) सेवा-निवृत्ति के अंतिम वर्ष में पदाधिकारी का पदस्थापन यदि वह किसी खास स्थान पर चाहता है तो यथासंभव उसके अनुरोध को मानते हुए यह किया जाए।
- (६) विशेष वेतन वाले पदों एवं सरकारी औद्योगिकों के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति में योग्यता के साथ-साथ वरीयता का भी ध्यान रखा जायेगा।
- (७) प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन किये गये स्थानान्तरणों के विरुद्ध अभिवेदन देने के लिए संबद्ध सरकारी सेवक को दो अवसर प्राप्त होंगे। पहला अभिवेदन पदस्थापन आदेश लागू होने के पूर्व, पदाधिकारियों की समिति के समक्ष दिया जायगा जिसने स्थानान्तरण आदेश अनुमोदित किया हो, और १५ दिनों के अन्दर अभिवेदन पर समिति के निर्णय की सूचना संबद्ध पदाधिकारी को दी जाय। समिति के आदेश से असन्तुष्ट होने की स्थिति में राजपत्रित सेवक, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, आदेश के पुनर्विचार हेतु दूसरा अभिवेदन अपने से संबंधित विभाग को दे सकता है जिसपर अंतिम निर्णय प्रशासकीय बोर्ड द्वारा लिया जायगा।

इनसे भिन्न सरकारी सेवक द्वारा अभिवेदन, आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अपने नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। ऐसी व्यवस्था रहे कि द्वितीय अभिवेदन पर आदेश १५ दिनों के अन्दर संबंध व्यक्ति को संसूचित कर दिया जाय ताकि स्थानान्तरित सरकारी सेवक अपने नये पद पर सामान्य नीति की कंडिका ४ के अधीन यथासमय योगदान कर सके।

- (द) स्थानान्तरण/पदस्थापन का आदेश प्रशासनिक एवं सामाजिक संतुलन की दृष्टि से किया जाय जिससे निहित स्वार्थ पनपने या जमने न पाए।
- (६) उपर्युक्त सामान्य नीति के विचलन में स्थानान्तरण/पदस्थापन का आदेश, यथास्थिति, प्रभारी मंत्री या मुख्य मंत्री के आदेश से ही पारित किया जायगा।

(ब) स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में प्रक्रिया:

(१) प्रमुख सचिवों, विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्तों, आरक्षी उप-महानिरीक्षकों, जिला पदाधिकारियों, आरक्षी अधीक्षकों तथा समकक्ष पदों पर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन का निर्णय कार्यपालिका नियमावली की व्यवस्था के अनुसार मंत्रिपरिषद् लेगा।

(२) ऐसे पदाधिकारी जिनके पद का अधिकतम वेतनमान १६८० ६० से अधिक है और जो उपर्युक्त उपकंडिका (१) की कोटि में नहीं आते हैं उनके स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में मंत्रि-परिषद् की समिति अंतिम निर्णय लेगी।

टिप्पणी—उप कंडिका (२) में उल्लिखित प्रस्ताव विभिन्न विभागों के लिए गठित स्थापना समितियों के माध्यम से प्रभारी मंत्री की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही मंत्रि-परिषद् की समिति के समक्ष उपस्थापित किये जायें।

(३) उपर्युक्त उप-कंडिकाओं (१) और (२) में वर्णित पदाधिकारियों से भिन्न ऐसे पदाधिकारी जिनके पद का अधिकतम वेतनमान १६८० ६० या उससे कम हो उनके स्थानान्तरण एवं पदस्थापन का निर्णय सामान्य नीति के अनुसार पदाधिकारियों की समिति लेगी।

(i) कामिक विभाग के लिए गठित समिति में प्रमुख सचिव, कामिक विभाग, विशेष सचिव, वित्त विभाग एवं स्थापना कार्य से संबंधित कामिक विभाग के अपर सचिव रहेंगे।

(ii) गृह (आरक्षी) विभाग के लिए गठित समिति में अपर मुख्य सचिव, आरक्षी उप-महानिरीक्षक तथा आरक्षी उप-महानिरीक्षक (प्रशासन) रहेंगे।

(iii) राजस्व, भूमि सुधार एवं उत्पाद विभाग के लिए गठित समिति में विभागीय प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष एवं कामिक विभाग के एक प्रतिनिधि होंगे जो अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप-सचिव के स्तर के पदाधिकारी होंगे।

- (iv) योजना एवं विकास विभाग के लिए गठित समिति में विकास आयुक्त, संबंधित सचिव, विभागाध्यक्ष एवं कार्मिक विभाग के एक प्रतिनिधि होंगे जो अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप-सचिव के स्तर के पदाधिकारी होंगे।
- (v) अन्य विभागों के लिये गठित समितियों में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष तथा स्थापना कार्य से संबंधित पदाधिकारी रहेंगे जो अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप-सचिव के स्तर के होंगे।
- (vi) सचिवालय से संलग्न कार्यालयों में विभागाध्यक्षों के अधीन राजपत्रित। अराजपत्रित पद धारकों के संबंध में, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाती है, पदस्थापन एवं स्थानान्तरण का निर्णय विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा लिया जायगा। इस समिति के दो और सदस्य होंगे जिनमें एक विभागाध्यक्ष के अधीन स्थापना कार्य से संबद्ध होंगे। विभागाध्यक्ष इन्हें स्वयं मनोनीत करेंगे।
- (vii) सभी स्तर के क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापन एवं स्थानान्तरण के लिए भी इसी आधार पर तीन सदस्यों की समिति गठित की जायगी और इसके गठन के लिए संबद्ध विभाग अपने से संबंधित सभी क्षेत्रीय कार्यालय के नाम आदेश निर्गत करेगा। इस समिति में क्षेत्रीय कार्यालय के प्रधान जिन्हें स्थानान्तरण एवं पदस्थापन की शक्तियां प्रदत्त हैं तथा दो बरीयतम पदाधिकारी को सम्मिलित किया जायगा।

२। ये आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरन्त प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अवसरारित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

पि० एस० अग्रू

सरकार के मुख्य सचिव।